रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 1980/माघ 15, 1901

No. 48] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 1980/MAGHA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1980

का. आ. 84(अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/80.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औ.वि.वि.) के आदेश सं. का.आ. 68(अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/78, तारीख 6 फरवरी, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनसे भिन्न, जो बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स अलैक्जैन्डर्स जूट मिल्स लिमिटेड कलकत्ता या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी पर लागू हों परिवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेष अधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औ.वि.वि.) के आदेश सं. का. आ. 68(अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/79, दिनांक 5 फरवरी, 1979 के आदेश से उक्त आदेश की अवधि 5 फरवरी, 1980 तक उसमें यह दिन सम्मिलित है, एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 5 फरवरी, 1981 तक जिसमें यह दिन सम्मिलित है, एक और वर्ष के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 5 फरवरी 1981 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है

[फा.सं. 3/8/77-सी.यू.इ

ब. राय, संयुक्त स.

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th February, 1980

S.O. 84(E)/18FB/IDRA/80. Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 68(E)/18FB/IDRA/78, dated the 6th February, 1978, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Alexandra Jute Mills Limited, Calcutta or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or Company shall remain suspended for a period of one year, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 68(E)/18FB/IDRA/79, dated the 5th February, 1979, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 5th February, 1980 ;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 5th February, 1981 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 5th February, 1981.

[F. No. 3/8/77-Cuc.]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980